रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No
Date
GOVT OF INDIA

सं० 172] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 1979/वैशाख 1, 1901
No. 172] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1979/VAISAKHA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1979

का० आ० 216(अ)/185/आई० डी० आर० ए०/79—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 338(अ) दिनांक 16 मई, 1977 द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, 19 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता को मैसर्स यूनियन जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अब, जब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है। जिसके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18 चक के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसमें लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 108	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 109	-वही-
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाईल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 169	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 210(1)	इस के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाईल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 217	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा, बशर्ते कि लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
धारा 225	-वही-
धारा 293	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 294	-वही-

उक्त छूटों की अवधि उस समय समाप्त हो जाएगी जब इस कम्पनी का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन नहीं रह जाएगा।

[फा० सं० न० 21/1/79-जूट]
एस० के० सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st April, 1979

S.O. 216 (E)/18E/IDRA/79.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 338(E) dated the 16th May, 1977, issued under Section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, 19-Netaji Subhash Road, Calcutta, to take over the management of Messrs Union Jute Company Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said Industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers confrerred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18FA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act., 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 108	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 109	-do-
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect provision of Section 159(1) of the Companies Act 1956.
Section 169	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210 (1)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provision of Sec. 159(1) of the Companies Act 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	-do-
Section 293	Provision of the this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	-do-

The period of exemption in all cases will terminate when the Company ceases to be managed under the I (D& R) Act, 1951.

[F. No. 21/1/79-Jute]
S. K. SARKAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979